



महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना
महिलाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण



प्रशिक्षण हेतु वरीयता क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

विकल्प	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं.	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का नाम
1.
2.

प्रशिक्षणार्थी का नाम: प्रथम नाम..... मध्यम नाम..... अन्तिम नाम.....

पिता का नाम:..... माता का नाम:.....

जन्म तिथि : (दिन/महिना/वर्ष) :.....

वैवाहिक स्थिति: अविवाहित विवाहित

तलाकशुदा विधवा परित्यक्ता

मोबाइल नंबर:..... ई-मेल आई.डी.:.....

आधार कार्ड नम्बर..... जनाधार कार्ड नं.....

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्ला:..... शहर/कस्बा/गाँव:.....

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम.....

तहसील :..... जिला:..... पिन कोड:.....

श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डालें)

सामान्य

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति: जनजाति उपयोजना (टीएसपी) : तहसील:..... जिला:.....
गैर-जनजाति उपयोजना (नॉन-टीएसपी)(माडा अथवा बिखरी)

सहरिया

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

जाति :..... धर्म : हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई जैन पारसी अन्य

महिला श्रेणी : आंगनबाडी कार्यकर्ता साथिन Computer Sakhi हिंसा से पीडित महिला

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	प्रतिशत	पास करने का महिना एवं वर्ष
दसवी (आरएस-सीआईटी हेतु अनिवार्य)			
स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका			

• शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधी अनिवार्य प्रमाण पत्र—

1. 10वी. कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका ।

2. आयु सत्यापन एवं कक्षा 10वी. राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में 10वीं का प्रमाण-पत्र।

3. स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंकतालिका।

विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं—

1. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।

2. हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआई आर की प्रति /धरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धरेलू घटना रिपोर्ट / महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।



महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना
महिलाओं को निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण



प्रशिक्षण हेतु वरीयता क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

विकल्प	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं.	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का नाम
1.
2.

प्रशिक्षणार्थी का नाम: प्रथम नाम..... मध्यम नाम..... अन्तिम नाम.....

पिता का नाम:.....माता का नाम:.....

जन्म तिथि : (दिन/महिना/वर्ष) :.....

वैवाहिक स्थिति: अविवाहित विवाहित

तलाकशुदा विधवा परित्यक्ता

मोबाइल नंबर:..... ई-मेल आई.डी.:.....

आधार कार्ड नम्बर..... जनाधार कार्ड नं.....

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्ला:..... शहर/कस्बा/गाँव:.....

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम.....

तहसील :.....जिला:.....पिन कोड:.....

आवेदक की श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डालें)

सामान्य

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति: जनजाति उपयोगना (टीएसपी) : तहसील:..... जिला:.....
गैर-जनजाति उपयोगना (नॉन-टीएसपी)(माडा अथवा बिखरी)

सहरिया

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

जाति :..... धर्म : हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई जैन पारसी अन्य

महिला श्रेणी : विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा हिंसा से पीडित महिला

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	प्रतिशत	पास करने का महिना एवं वर्ष
12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका			
स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका			

• शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी एवं अन्य अनिवार्य प्रमाण पत्र—

- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका तथा कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में कक्षा 12 वीं का प्रमाण-पत्र।
- स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका।
- हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआईआर की प्रति/धरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र/अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति।

घोषणा :-



महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना
महिलाओं को निःशुल्क RS-CSEP प्रशिक्षण



प्रशिक्षण हेतु वरीयता क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

विकल्प	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं.	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का नाम
1.
2.

प्रशिक्षणार्थी का नाम: प्रथम नाम..... मध्यम नाम..... अन्तिम नाम.....

पिता का नाम:..... माता का नाम:.....

जन्म तिथि : (दिन/महिना/वर्ष) :

वैवाहिक स्थिति : अविवाहित विवाहित

तलाकशुदा विधवा परित्यक्ता

मोबाइल नंबर:..... ई-मेल आई.डी.:.....

आधार कार्ड नम्बर..... जनाधार कार्ड नं.....

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्ला:..... शहर/कस्बा/गाँव:.....

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम.....

तहसील :..... जिला:..... पिन कोड:.....

आवेदक की श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डालें)

सामान्य

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति: जनजाति उपयोजना (टीएसपी) : तहसील:..... जिला:.....

गैर-जनजाति उपयोजना (नॉन-टीएसपी)(माडा अथवा बिखरी)

सहरिया

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

अति पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

जाति :..... धर्म : हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई जैन पारसी अन्य

महिला श्रेणी : विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा हिंसा से पीडित महिला

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	प्रतिशत	पास करने का महिना एवं वर्ष
12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका			
स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका			

• शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी एवं अन्य अनिवार्य प्रमाण पत्र—

1. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका तथा कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में कक्षा 12 वीं का प्रमाण-पत्र/T.C.।

2. स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका।

3. हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआईआर की प्रति/धरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र/अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति।

घोषणा :-

1. मैं उद्घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं।

2. मैंने RS-CSEP/RS-CIT/RS-CFA/ पाठ्यक्रम में से एक पाठ्यक्रम के लिए ही आवेदन किया है।

3. मैं पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रही योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के कम्प्यूटर कोर्स या योजना के अन्तर्गत